



GOVERNMENT OF INDIA

भारत सरकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Central Zoo Authority

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

RTI-428



पंजीकृत डाक
REGISTERED POST

मि.सं. 13-4/2006-के.चि.प्रा. (खण्ड-VIII)/005/2018/ए-सी

दिनांक: 04-09-2018

सेवा में,

श्री नितिन सिंघवी,
एम.आई.जी.-59, सेक्टर-1
शंकर नगर, रायपुर - 492 007
छत्तीसगढ़

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना वाबत ।

सन्दर्भ: आपके के पत्र दिनांक 29.08.2018, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत।

महोदय,

कृपया ऊपर सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें। आपको प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित है।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	के.चि.प्रा. के पत्र संख्या 20-2/2017-के.चि. प्रा दिनांक 21.06.2017 (संलग्नक) के माध्यम से हाथी बचाव केन्द्र, पिंगला, सुरगुजा, छत्तीसगढ़ को सैद्धांतिक रूप से स्थापना की मंजूरी दी गई थी, उपरोक्त पत्र में बिन्दु i में उल्लेखित दस्तावेजों की छायाप्रति प्रदान करने वाबत	उक्त पत्र में उल्लेखित वाछनीय दस्तावेजों की प्रतिलिपि अभी तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, छत्तीसगढ़, रायपुर से इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के 83 तकनीकी समिति के कार्यवृत्त की छायाप्रति प्रदान करने वाबत	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के 83 तकनीकी समिति के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि धनराशि रुपये 68/- मात्र (34 पृष्ठ, 2/- प्रति पृष्ठ) छायाप्रति शुल्क के रूप में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में पोस्टल आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट जमा करने पर प्रदान की जायेगी।

यदि आप उक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो निम्नलिखित अपीलीय अधिकारी के समक्ष एक महीने के अन्दर अपील कर सकते हैं:-

सदस्य सचिव; के.चि.प्रा. एवं अपीलीय अधिकारी,
बी-1 विंग, छावां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदया भवन,
सी.जी. ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

भवदीय

(रविन्द्र सिंह रावत)
जन सूचना अधिकारी

04/9/18